संख्या–पी–63 / 14–2–2015–800(114) / 2015

प्रेषक,

अशोक कुमार
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण,, वन एवं जलवायु मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन
पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार
लखनऊ।

वन अनुभाग–2 लखनऊ, दिनांक 30 अक्टूबर, 2015

विषयः– अलीगढ़ में पलवल–टप्पल–अलीगढ़ मार्ग एस0एच0–22ए किमी0 62.5 की बांयी पटरी पर ग्राम अर्राना के खसरा संख्या–203 पर विकसित किये जा रहे एस्सार ऑयल लि0 के रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.072 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 09 वृक्षों के पातन की अनुमति

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी के पत्र संख्या–748 / इटावा–11710 / यूपी–068 / 2015, दिनांक 30–9–2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अलीगढ़ में पलवल–टप्पल–अलीगढ़ मार्ग एस0एच0–22ए किमी0 62.5 की बांयी पटरी पर ग्राम अर्राना के खसरा संख्या–203 पर विकसित किये जा रहे एस्सार ऑयल लि0 के रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.072 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 09 वृक्षों के पातन की अनुमति का प्रस्ताव अपने स्तर से परीक्षण करने के उपरान्त शासन को उपलब्ध कराया गया है। प्रस्ताव के अनुसार उक्त प्रयोजन हेतु मांगी गयी वनभूमि न्यूनतम है और इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। चूँकि प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जा रहा है, अतएव प्रश्नगत वनभूमि को गैर वानिकी प्रयोग के लिये दिये जाने में विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। नोडल अधिकारी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रस्ताव से शासन सहमत हैं।

2– अतएव उक्त प्रस्ताव मूल रूप में (एक प्रति) संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया वन (संरक्षण) अधिनियम,1980 के प्राविधानों के तहत स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।
संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

(अशोक कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या–पी–63(1) / 14–2–2015–तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0,लखनऊ।
2– वन संरक्षक, अलीगढ वृत्त, अलीगढ़।
3– जिलाधिकारी, अलीगढ़।
4– प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।
5– डिवीजनल मैनेजर, एस्सार ऑयल लि0 ए–5, से0–3 नोएडा।
6– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

B.Singh

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनु सचिव।